भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1704

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया

एलआईसी और सामान्य बीमा कंपनियों के पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन

1704. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के वृद्ध पारिवारिक पेंशनभोगियों को कम पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और एलआईसी और पीएसजीआई संस्थाओं में सेवानिवृत्ति के समय एक बार सेवा पेंशन तय होने के बाद यह स्थिर रहती है जो बिना किसी वृद्धि के 15 प्रतिशत पर तय होती है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक पेंशन पर भी पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को पेंशनभोगी परिवारों को भुगतान की जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्र/राज्य सरकार के आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आरआरबी, नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की तर्ज पर एलआईसी और जीआईसी पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन को तीस प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या एलआईसी बोर्ड ने भी पेंशन को बिना किसी सीमा के तीस प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखती है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ड.): जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) के कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, का परिवार क्रमशः भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 39 और साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 के नियम के 38 के उपबंधों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पात्र होता है और एलआईसी और पीएसजीआईसी में पारिवारिक पेंशन की राशि वेतनमान के आधार पर 15/20/30 प्रतिशत की दर से देय है। इसके अलावा, एलआईसी और पीएसजीआईसी एक प्रतिस्पर्धी और विनियमित वातावरण में काम करने वाली वाणिज्यिक इकाई हैं। किसी भी प्रस्ताव जिसमें लागत में वृद्धि शामिल हो, पर व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर और प्रबंधन के खर्चों के साथ-साथ विनियामकीय परिचालनों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के बाद विचार किया जाता है।

*****